

राजस्थान सरकार
वित्त(कर)विभाग

क्रमांक प. 7(33)वित्त/कर/2015

दिनांक: 26.02.2018

आदेश


राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के अधीन उपायुक्त पद की वर्ष 2017-18 की आस्थगित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आस्थगित प्रकरणों (DEFERED CASES) की बैठक दिनांक 24.01.2018 में की गई अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक आयुक्त को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, उपायुक्त के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं	नाम	वर्ग	रिक्ति उपलब्धता तिथि	वरिष्ठता क्रम
1	श्री रामनिवास शर्मा		01.04.17	श्री अमिताभ भार्गव के नीचे एवं श्री अविनाश चन्द त्रिवेदी के ऊपर

श्री शर्मा, पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर, इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का भी कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में, आवश्यकतानुसार, आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।


यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(प्रवीण-मुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. अध्यक्ष, कर बोर्ड, अजमेर।
8. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)